Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHAKSU

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 18-09-2025 5:08 PM

Fee Receipt No	:	202502425009082	Receipt Date	:	18/09/2025
Name	:	KRISHAN KUMAR ,	Document S. No.	:	202501425007015
Address	:	, , ,			
Document Type	:	Copy Of Document			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 0	Certified copying fees Us_57	:	₹ 100
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 30	Stamp Duty	:	₹ 100
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
SiteInspection Fees	:	0	**Cash Amount Received**	:	**₹ 0**
			Other Than Cash	:	**₹ 230**
			Total Amount	:	**₹ 230**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 110793828 ₹ 230

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक
चाकसू, जयपुर

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0110793828   Payment Date: 18/09/2025 12:46:43

Office Name: SUB REGISTRAR, REGISTRATION & STAMPS, CHAKSU
Location: CHAKSU
Period: 01/04/2025-To-31/03/2026

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	10.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	10.00
3	0030-02-800-04-00-प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	10.00
4	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	100.00
5	0030-02-103-01-00-दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	100.00

Commision(-): 0.00
Total/NetAmount: 230.00

Two Hundred Thirty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **KRISHAN KUMAR**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(303901)
Address:JAIPUR	Remarks:

Payment Details:

		Challan No. -	0
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	SBIN11079382818092025
Date:	18/09/2025 12:46:43	Refrence No:	CK00KUFFV3

Computer generated copy on : 18/09/2025   *Courtsy : https://Egras.rajasthan.gov.in*

आवेदक का नाम कृष्ण कुमार
नकल [illegible] क्रमांक / दिनांक 18/9/25
स्टाम्प [illegible] 100/-
[illegible] 130/-
[illegible] 2884/18.9.25
दस्ता[illegible] एवं दिनांक 9399/26.12.12
उप-[illegible] का नाम चाकसू
विक्रेता रघुनाथ शोदी
रघुनाथ को

उप-पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
चाकसू जयपुर

[redacted]

उप पंजीयक
चाकसू

उपाकंवर   मानवेन्द्र सिंह
प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक
चाकसू, जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJAS

A 023788

!!श्री गणेशाय नमः!!

"उपहार-पत्र"

यह उपहार-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर 2012 को रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान (RAGHUKUL RESEARCH & TECHNICAL INSTITUTE) पता : रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्रीमती उषा कँवर आयु लगभग 64 वर्ष धर्मपत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह, जाति-राजपूत, निवासी- रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान प्रान्त की उपहारकर्ता है, जिसे इस उपहार-पत्र मे "प्रथमपक्ष" शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसकी समस्त शर्तो से उपहारकर्ता स्वयं एवं उपहारकर्ता के अन्य समस्त दायभागी, स्थानापन्न, वारिसान, प्रतिनिधि, परिवारजन, एजेन्ट एवं उत्तराधिकारी इत्यादि पाबन्द व सम्मिलित समझे जायेगें कि ओर से :-

"बहक"

रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन (RAGHUKUL COLLEGE OF EDUCATION) पता : प्लाट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, मालवीय नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्री मानवेन्द्र सिंह आयु लगभग 38 वर्ष पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी- प्लाट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान प्रान्त का उपहारगृहिता है, जिसे इस उपहार-पत्र मे "द्वितीयपक्ष" शब्द से सम्बोधित किया गया है, के हक मे यह उपहार पत्र निष्पादित किया गया है।

उषा कंवर   मानवेन्द्र सिंह

23
उप पंजियक
चाकसू

जो कि अचल सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है।

यह कि ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर का खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे श्री कैलाश चन्द अग्रवाल के नाम से दर्ज थी। जिसके पश्चात श्री कैलाश चन्द अग्रवाल ने ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर मे से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण को जरिये विक्रयपत्र लिखा हुआ दिनांक 20/10/2010 को रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान पता : रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्रीमती उषा कॅवर धर्मपत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह, जाति-राजपूत, निवासी- रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर को बेचान कर दिया।

उषा कँवर

मानवेन्द्र सिंह

उप पंजियक
चाकसू

इस प्रकार उक्त सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर मे से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण पर प्रथमपक्ष बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, स्वामी एवं अधिकारी के रूप मे काबिज हो गई एवं वर्तमान मे उक्त सम्पत्ति को हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग मे लेने, हस्तान्तरित करने, विक्रय करने के सम्पूर्ण स्वतंत्र मालिकाना हक एवं अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

यह कि उक्त सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार, साझेदार नही है तथा उक्त सम्पत्ति को प्रथमपक्ष के द्वारा आज दिन तक किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंकिग, वित्तिय संस्थान व जनसाधारण आदि के हक मे किसी भी प्रकार इकरारनामा, विक्रय-पत्र, दान, वसीयत, बक्शीश, गिरवी, ऋण, कुर्की, डिक्री, बेनामा, त्याग-पत्र इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित नही किया गया है। उक्त सम्पत्ति वर्तमान मे समस्त प्रकार के सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंकिंग, जन-साधारण व अन्य वित्तिय संस्थान आदि के ऋण-भारो एवं हर प्रकार के राजकीय, अदालती व जन-साधारण आदि के झगड़ो-टन्टो से पूर्णतयाः मुक्त व पाक है। उक्त सम्पत्ति को वर्तमानमे हर प्रकार से उपयोग मे लेने एवं विक्रय इत्यादि करने के सम्पूर्ण मालिकाना हक एवं अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

मानवेन्द्र सिंह

ऊषा कंवर

उप पंजियक
चाकसू

चूंकि प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त वर्णित सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर मे से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण मे से खसरा नम्बर 68 मे स्थित 4000 वर्गमीटर भूमि सम्पूर्ण को अपने तमाम हक खातेदारी स्वत्वाधिकारो मय पानी-पूला, मेड़-डौल, पेड़-पौधों व हक काश्त सहित के बिना रखे इसके किसी भी अंश व भाग के प्रत्येक वस्तु सहित व वस्तु सुरक्षित रखे हुये अपने समस्त हक-हकूको व स्वत्वाधिकारो, सुखाधिकारो तथा तमाम जमाशुदा राशियो व लाभांशो के, प्रत्येक वस्तु सहित बिना किसी प्रतिफल राशि के उपहारग्रहिता द्वितीयपक्ष रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन (RAGHUKUL COLLEGE OF EDUCATION) पता : प्लाट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, मालवीय नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्री मानवेन्द्र सिंह आयु लगभग 38 वर्ष पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी- प्लाट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान प्रान्त के हक मे उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया जिसको द्वितीयपक्ष ने स्वीकार करते हुये मौके पर वास्तविक कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं दोनोपक्ष उक्त उपहार पत्र को निम्न बिन्दुओ पर साक्ष्यांकित करते है :-

1. यह कि उपहार पत्र अनूसूची मे वर्णित सम्पत्ति को उपहारकर्ती ने स्वेच्छा से अपनी स्वस्थ इन्द्रिय व स्थिर बुद्धि की अवस्था मे बिना नशे पते की दशा मे बिना किसी जोर-जबरन व बहकावट की दशा मे अपनी इच्छा व प्रसन्नता से उपहारगृहिता को उपहार करती है व कब्जा सुपुर्द करती है जिसे उपहारगृहिता ने स्वीकार कर लिया है।

मानवेन्द्र सिंह

उप पंजियक
चाकसू

2. यह कि उपहारगृहिता आज के बाद उक्त सम्पत्ति का पूर्ण एकमात्र मालिक एवं स्वामी हो गया व उक्त सम्पत्ति पर उपहारगृहिता का कब्जा व अधिकार रहेगा जिसको उपहारगृहिता अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतंत्र होगा।

3. यह कि उपहारगृहिता उक्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण, दान, बख्शीश, बेचान आदि करने और हर प्रकार से उपयोग व उपभोग किसी अन्य को कर सकेगा।

4. यह कि आज के बाद उक्त उपहार की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध मे उपहारकर्ती या उपहारकर्ती के अन्य वारिसान, परिवारजन, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, दायभागी, एजेन्ट, स्थानापन्न इत्यादि का इसमे कोई हक, हिस्सा एवं अधिकार नही होगा।

5. यह कि उपहारगृहिता ने उक्त सम्पत्ति को उपहार स्वरूप स्वीकार कर लिया है।

6. यह कि उक्त सम्पत्ति पर आज से द्वितीयपक्ष पूर्णरूप से एकामत्र मालिक व स्वामी के रूप मे काबिज रहते हुये हर प्रकार का उपयोग व उपभोग करे, दान, बख्शीश करे और हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करते हुये किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बिचौती कर राशि प्राप्त कर इकरारनामा/अन्य दस्तावेज तहरीर व तकमील करावे, रजिस्ट्री करावे, कब्जा देवे और प्रत्येक प्रकार से लाभान्वित होवे।

7. यह कि द्वितीयपक्ष इस उपहारपत्र के तहत समस्त सरकारी, गैरसरकारी विभागो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि मे प्रथमपक्ष के स्थान पर द्वितीयपक्ष अपना नाम अंकित/परिवर्तित करावे एवं पानी–बिजली कनेक्शन अपने नाम से लेवे/हस्तान्तरित करावे तो प्रथमपक्ष को इसमे कोई ऐतराज/आपत्ति करने का अधिकार नही होगा।

उप पंजियक
चाकसू

8. यह कि द्वितीयपक्ष स्वयं इस उपहारपत्र के आधार पर अपने हक मे नामान्तरण दर्ज करावे आज से द्वितीयपक्ष को उपहार की गई कृषि भूमि के समस्त मालिकाना हक अधिकार प्राप्त हो गए है तथा द्वितीयपक्ष को यह अधिकार है कि वह उपहार की गई कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ रुपान्तरण करावे।

"उपहार की गई सम्पत्ति का विवरण"

यह कि उपहार की गई सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर मे से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण मे से खसरा नम्बर 68 मे स्थित 4000 वर्गमीटर भूमि सम्पूर्ण है।

यह कि इस उपहार-पत्र की छायाप्रति भविष्य मे अस्पष्ठ व अपठ्नीय होने पर सम्बन्धित पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

उप पंजियक
चाकसू

यह कि उक्त वर्णित उपहार की गई भूमि संपूर्ण गांव की मुख्य आबादी से करीबन 1,1/2 कि.मी. व लिंक डामर रोड से करीबन 1, कि.मी. व चाकसू से 18 कि.मी. दूर स्थित है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण आदि किया हुआ नही है।

अतएव यह उपहार–पत्र स्टाम्प कीमती 5,000/–रूपये के स्टाम्प एक व छः सादा पेपर पर इस प्रकार कुल किता सात पर द्वितीयपक्ष के हक में तहरीर व तकमील कर दिया एवं समस्त मजमून को पढ,सुन व भली प्रकार सोच समझ सहज् स्वीकार करते हुए रूबरू निम्न दो गवाहान् के समक्ष दोनो पक्षो ने अपनी पूर्ण होश –हवास मे अपनी इच्छा व प्रसुन्नतासे बिना नशे पते की दशा मे अपने–अपने हस्ताक्षर/अंगुठात के निशानात कर दियेसो सनद् रहे और वक्त जरूरत काम आवें । इति लेख्य दिनांक **26 दिसम्बर 2012** ईस्वी।

ऊषा कंवर

ह0 प्रथमपक्ष :- monika

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष :–

हस्ताक्षर– monika

साक्षी –1 श्री monika उम्र २० वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट

निवासी कुल्हरियों का बास, वाया- पिलानी तहसील- चिड़ावा जिला झुन्झुनू

हस्ताक्षर

साक्षी –2 श्री ... उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री ... जाति ...

निवासी चाकसू।

उप पंजियक
चाकसू